1

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2014 रिवीजन R 2721-I/14

1. आरामबाई पत्नी श्री लखपत सिंह आयु 40 साल व्यवसाय गृहकार्य
2. आधारबाई पत्नी श्री रमेश सिंह आयु 38 साल व्यवसाय गृहिणी
3. रामकन्या बाई पत्नी सौदान सिंह आयु 32 साल , व्यवसाय गृहिणी

निवासीगण – ग्राम सरवर पुर तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.

.... आवेदकगण

श्री विनोद श्रीवास्तव, ओफि. द्वारा आज दि. 25-8-14 को प्रस्तुत

25-8-14 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. मुकेश पुत्र घनश्याम सेन आयु 25 साल
2. सुरेश पुत्र घनश्याम सेन आयु 23 साल निवासीगण ग्राम देवपुर तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.
3. शाहिद हुसैन पुत्र तजम्मुल हुसैन आयु 58 साल निवासी मोहल्ला बोहरबाडी सिरांज जिला विदिशा म.प्र.

रामबिहारी गुप्ता 1453 24/08/2014 ग्वालियर

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता विरूद्व न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज जिला विदिशा प्रकरण क्रमांक 57/ अपील/ 2012– 13 में पारित आदेश दिनांक 24.7.2014 से परिवेदित होकर।

माननीय न्यायालय ,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

जिला विदिशा

निगरानी प्र.क्रं. 2721/I/2014

4.8.15

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, सिरोंज जिला विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 57/2012-13 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24-7-2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी मेमो में वर्णित तथ्यों पर आवेदक एंव अनावेदक कमांक 1 व 2 के अभिभाषक के तर्क सुने । अनावेदक कमांक 3 अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि विचाराधीन निगरानी में मुख्य आधार यह लिया गया है कि ग्राम जैतपुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 417/2 रकबा 1.732 हैक्टर में से 0.467 है. (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर ग्राम की नाभान्तरण पंजी कमांक 01 पर आदेश दिनांक 25.7.2001 से केता का नामांत्रण हुआ है जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज के समक्ष दिनांक 30.1.2013 को प्रथम अपील प्रस्तुत हुई है जो समय वाह्य होते हुये अंतरिम आदेश दिनांक 24-7-2014 से गलत आधारों पर विलम्ब क्षमा किया गया है।

4/ समयावधि के बिन्दु पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के कम में अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज के न्यायालय के प्र० क० 57/12-13 अपील में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों अनुसार ग्राम पंचायत ने नामान्तरण करते समय अपीलांट्स को कोई सूचना नहीं दी, उन्हें नामान्तरण की जानकारी तब हुई, जबकि दिनांक 22.12.12 को खसरे की नकल निकलवाई। इसके वाद ग्राम

पंचायत से नामान्तरण पंजी की नकल मांगी, किन्तु उन्होंने बार-बार संपर्क करने पर नकल नहीं दी। इसलिये जानकारी के दिन से समयावधि में अपील की गई है। रिस्पा0 के इन्हीं तथ्यों पर विश्वास करके अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 24-7-14 से अपील प्रस्तुत करने में हुआ लगभग 10 वर्ष 06 माह का विलम्ब क्षमा किया है।

5/ आवेदकगण की ओर से अभिभाषक ने वादग्रस्त भूमि के पंजीयत विक्रय पत्र दिनांक 20.4.2001 की छायाप्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अनावेदक क्र-3 ने अनावेदक क्र-1 व 2 के लीगल गार्जियन पिता धनश्याम से क्रय की है एंव क्रेता का नामान्तरण होने के वाद इसी भूमि को आवेदकगण ने पंजीयत विक्रय पत्र दिनांक 28.8.2010 से क्रय की है । दो वार क्रय - विक्रय होने एंव दो वार नामान्तरण की कार्यवाही होने पर अनावेदक क्र-1 व 2 एंव उनके विक्रेता पिता को इसकी जानकारी न रही हो, अविश्वसनीय है जिसके कारण अवधि विधान की धारा-5 में दिये गये तथ्य गलत है।

6/ विचार योग्य बिन्दु है कि जब वादग्रस्त भूमि अनावेदक क्र-3 ने पंजीयत विक्रय पत्र दिनांक 20.4.2001 से क्रय की है तथा नामान्तरण होने के उपरांत इस भूमिस्वामी ने पंजीयत विक्रय पत्र दिनांक 28.8.2010 से वादोक्त भूमि आवेदकगण को विक्रय कर दी एंव उनका नामान्तरण हुआ। विक्रय पत्र मुकेश एंव सुरेश के लीगल गार्जियन पिता घनश्याम ने संपन्न कराया है, तब यही माना जावेगा कि अनावेदक क्र-1,2 के पिता को रही जानकारी उन पर बाध्यकर है और विक्रय पत्र के बारे में जानकारी अनावेदक क्र-1 एंव 2 को रही है। ऐसी स्थिति में दिनांक 30.1.2013 को यानि लगभग 10 वर्ष 06 माह वाद प्रस्तुत अपील में विलम्ब क्षमा नहीं किया जा सकता। वादग्रस्त भूमि का प्रथम विक्रय शाहिद हुसैन पुत्र तज्जुमल हुसैन के नाम हुआ है । उसके वाद इस क्रेता ने आवेदकगण के हित में भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 28.8.10

को संपन्न कराया है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि वादग्रस्त विक्रय पत्रों पर से मौके की स्थिति अनुसार भूमि के कब्जे के आदान-प्रदान होने की स्थिति वावत् जानकारी अनावेदक क्र-1 व 2 को न हुई हो।

1. **भू राजस्व संहिता 1959(म0प्र0) धारा-47 एंव परिसीमा अधिनियम 1963- धारा-5 - अनुचित विलम्ब क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोद्भूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता ।**

2. **भू राजस्व संहिता 1959(म0प्र0) धारा-47 एंव परिसीमा अधिनियम 1963- धारा-5 - विलम्ब माफी हेतु आवेदन - दिन प्रतिदिन का हिसाव नहीं दिया। आवेदन में सही स्थिति नहीं दर्शाई - विलम्ब माफ नहीं किया जा सकता।**

7/ प्रकरण के अवलोकन से स्थिति यह है कि जब वादग्रस्त भूमि दिनांक 20.4.2001 को अनावेदक कमांक 1 व 2 के स्वत्व एंव स्वामित्व सहित अनावेदक कमांक 3 को विक्रय हो गई, इस विक्रय पत्र के आधार पर अनावेदक कमांक 1 व 2 के स्वत्व व स्वामित्व अंतरित होने से वादग्रस्त भूमि में उनका अधिकार नहीं रहा। अनावेदक कमांक 3 ने वादग्रस्त भूमि का अंतरण आवेदकगण के हित में पंजीयत विक्रय पत्र दिनांक 28.8.2010 से कर दिया, तब क्या अनावेदक कमांक 1 व 2 के वादग्रस्त भूमि से हित जुड़े माने जाकर नामांत्रण आदेश के विरूद्ध अपील/ निगरानी सुनवाई योग्य है ?

भू राजस्व संहिता 1959(म0प्र0) धारा-109 , 110 - नामान्तरण कार्यवाही - अन्य व्यक्ति का विवादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार नहीं रहा - वह आवश्यक पक्षकार नहीं है - उसे आपत्ति प्रस्तुत करने या अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है।

8/ अनावेदक क्र-2 के अभिभाषक द्वारा बताया गया है कि वादग्रस्त भूमि अल्पवयस्क की होने के कारण उनके वयस्क होने के उपरांत ऐसी भूमि पर उनके स्वत्व व स्वामित्व जाग्रत हो जाते है। विचाराधीन प्रकरण नामान्तरण वावत् है, स्वत्व के निराकरण हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम न होने से अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के अभिभाषक द्वारा उठाई गई यह आपत्ति विचार योग्य नहीं है।

9/ उपरोक्त कारणों से पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज ने अनावेदक क्रमांक-1 व 2 द्वारा प्रस्तुत अपील में हुये लगभग 10 वर्ष 06 माह के अतिविलम्ब को गलत आधारों पर क्षमा किया है एंव अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के अहितबद्ध होते हुये भी हितबद्ध पक्षकार मानने में भूल की है।

10/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, सिरोंज जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 57/2012-13 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24-7-14 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामतः ग्राम जैतपुर की नामान्तरण पंजी पर 01 ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 25.07.2001 से किया गया नामांत्रण स्थिर रहता है।

सदस्य